इकाई 30 जाति एवं वर्ग में सामाजिक गतिशीलता

इकाई की रूपरेखा

30.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- जातिगत गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं और घटकों की रूपरेखा तैयार कर सकेंगे,
- वर्ग गतिशीलता की प्रकृति और उसे प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कर सकेंगे, और
- भारत में वर्ग गतिशीलता को प्रभावित करने वाले घटकों को स्पष्ट कर सकेंगे।

30.1 प्रस्तावना

सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण और अध्ययन किया है। साथ ही, इसकी संकल्पना, प्रकार और माध्यमों की जाँच-पड़ताल करके हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है जो उनका एक विशेष योगदान कहा जा सकता है। उन्होंने इसे दो समाजों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। प्रथम किस्म के वे समाज हैं जो अपने आप में 'अवरूद्ध', स्थिर, अचल और अगम्य हैं। इनके नियम कठोर हैं। इसलिए इनमें गतिशीलता नहीं होती। दूसरी तरह के वे समाज हैं जिन्हें 'मुक्त' समाज कहा जा सकता है। मुक्त समाजों की प्रकृति सुगम्य, खुली और लचीली होती है। सोरोकिन ने स्तरीकरण के संबंध में कहा है कि इसमें गतिशीलता की प्रकृति मौजूद है जबकि जाति प्रथा 'अवरूद्ध समाज' की श्रेणी में आती है। यहाँ पर गतिशीलता का कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक वर्गों का प्रश्न है, ये 'मुक्त समाजों' में पाए जाते हैं जो उपलब्धियों के माध्यम से गतिशीलता के लिए विस्तृत अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जाति और वर्ग में गतिशीलता की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सोरोकिन द्वारा वर्णित सामान्यीकरण कहाँ तक अनुरूप हैं।

30.2 जाति में गतिशीलता

यह आम धारणा है कि जाति स्तरीकरण की एक 'अवरूद्ध' व्यवस्था है जो वास्तव में सच्चाई से बहुत दूर है। कोई भी समाज स्थिर या स्थैतिक नहीं है। यहाँ तक कि पारंपरिक संरचना में भी जहाँ पर पूजा-पाठ ही किसी व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठान और उसकी व्यावसायिक स्थिति का तथा उसके पारश्रमिक निर्धारण का मुख्य घटक थी वहाँ भी नीचे और ऊपर, दोनों तरफ की सामाजिक गतिशीलता समाप्त नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ न कुछ सामाजिक गतिशीलता अवश्य थी।

जाति प्रथा में सामाजिक गतिशीलता के प्रमाण जाति और व्यवसाय में बढ़ती विषमता में जजमानी बंधनों से परे हटने में, शुद्धता और अपवित्रता की कठोरता में तथा धर्मनिरपेक्षता की स्वीकृति में मौजूद है। श्रीनिवास ने ध्यान आकर्षित किया है कि प्राचीन समय में गतिशीलता के दो प्रमुख स्रोत थे। पहला था अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था। इसमें नई जातियों द्वारा क्षत्रियों के स्तर और शक्ति प्रयोग की स्थिति को स्वीकार करना आसान कर दिया। दूसरा कारण था कृषि-योग्य कम भूमि की उपलब्धता। उर्ध्व गतिशीलता के इन दो मार्गों के परिणामस्वरूप प्रभावशाली जातियाँ जैसे रेड्डी और मराठा जातियों के नेता राजनैतिक शक्ति तथा जाति की स्थिति की अभिलाषा करने लगे। इसी तरह से मध्यकालीन बंगाल के पालवंशी मूल रूप से शूद्र वर्ग के थे, गुजरात के पट्टीदार लोग भी मूल रूप से किसान वर्ग के थे। किसी प्रमुख जाति का कोई नेता जब राजा या राज-प्रमुख बन जाता है उस हालत में उस जाति के अन्य लोगों के लिए यह गतिशीलता का स्रोत बन जाता है और उच्च जातियों की परंपरा तथा जीवन शैली को अपनाने से यह और भी दृढ़ हो जाता है।

30.2.1 गतिशीलता के स्तर

गतिशीलता व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा समूहों में भी दृष्टिगोचर होती है। गतिशीलता के इन स्तरों का श्री शर्मा ने बहुत ही गहन विश्लेषण किया है।

1) **परिवार में व्यक्तिगत गतिशीलता** : किसी एक परिवार में चाहे वह परिवार किसी छोटी जाति का ही क्यों न हो, परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में कोई सदस्य एक अच्छा स्तर और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। यह प्रतिष्ठा व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व उसकी सत्य-निष्ठा और ईमानदारी, उच्च शिक्षा द्वारा अथवा अन्य उपलब्धियों के कारण हो

सकती है। इसी प्रकार एक ऊँची जाति का व्यक्ति भी अपने दुष्कर्मों और जाहिलपन की आदतों के कारण अपना स्तर नीचे गिरा सकता है, अपनी प्रतिष्ठा खो सकता है। यह एक व्यक्ति की गतिशीलता की गिरावट मानी जा सकती है। अतः व्यक्ति की गतिशीलता का कारण उसकी कमी या उसकी क्षमता हो सकती है। इसलिए इस गिरावट को पूरी जाति की गिरावट नहीं माना जा सकता है। इसका प्रभाव व्यापक नहीं होता है तथा व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित रहता है।

2) **एक जाति में अल्पसंख्क परिवारों की गतिशीलता :** इस प्रकार की गतिशीलता को परिवारों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इस तरह के स्तरों में उन्नति होने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे, भूमि प्राप्त कर लेना और उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेना जिस कारण वे उच्च जातियों की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि वस्त्र धारण करना, जीवन शैली अपनाना और उनके धार्मिक कर्मकाण्ड करना है। इस तरह की गतिशीलता की प्रकृति व्यापक नहीं होती है। इन्हें **समतल गतिशीलता** ही मानना चाहिए न कि **सोपानात्मक गतिशीलता** क्योंकि यह केवल स्तर विशिष्टताओं को ही पूरा करती है। इस संबंध में बर्टन स्टीन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की प्रवृत्ति मध्यकाल में व्यापक रूप से रही है।

3) **अधिक परिवारों की अथवा समूह की गतिशीलता** : इस प्रकार की गतिशीलता व्यापक प्रकृति की होती है। इसमें सामूहिक रूप से सांझी प्रतिष्ठा, स्तर एवं सम्मान निहित होता है। और इसलिए इसका शुद्धता तथा अपवित्रता के संबंध में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा पता लगता है। कुछ जातियाँ अशुद्धता और अपवित्रता जैसे व्यवहारों को त्याग कर अपनी स्थिति में सुधार करती हैं। इन सब मामलों में संस्कृतिकरण सबसे प्रमुख प्रक्रिया होती है जो इन जातियों को सामाजिक क्रम में ऊर्ध्व अथवा उच्च श्रेणी में ले जाती है तथा उच्च गतिशीलता के दावे को वैध बनाती है।

30.3 संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण

गतिशीलता की विशेषताएँ एवं प्रक्रियाएँ हैं। अब उनकी चर्चा करेंगे।

30.3.1 संस्कृतिकरण

एम.एन. श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता की प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण को विस्तार से सूत्रबद्ध किया है। उसके अनुसार संस्कृतिकरण एक 'प्रक्रिया' है जिसके माध्यम से कोई नई हिंदू जाति, आदिवासी या अन्य समूह के लोग (श्रीनिवास 1966) अपने रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक सिद्धांतों तथा जीवन-शैली को अपनी मूल जाति से दोगुनी गति 'उच्च' की दिशा में परिवर्तित करते हैं। संपूर्ण इतिहास में संस्कृतिकरण विभिन्न रूपों में प्रचलित रहा है। इसको धर्मनिरपेक्षता और धर्मों के बीच की दूरी को कम करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। जब कोई जाति धर्मनिरपेक्षता की शक्ति प्राप्त कर लेती है तो वह ऊँची जातियों के रीति-रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, शाकाहार, मद्य-निषेध जैसे विचारों को अपना कर अपने स्तर को वैध ठहराने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, वे लोग ब्राह्मण पुजारी की सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और तीर्थ-स्थलों का भ्रमण एवं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करते हैं।

जनगणना के आँकड़े रिकॉर्ड करना उच्च स्तर के दावों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। श्रीनिवास का मानना है कि बाद में की जाने वाली जनगणना में ये दावे अधिक ऊँचे स्तर के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक जाति एक

जनगणना में अपने आपको वैश्य ही घोषित करती है। परंतु यही जाति अगली जनगणना के समय अपने आपको ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होने का दावा प्रस्तुत कर देगी। इनका इस प्रकार से दावे का अर्थ यह होता है कि वे दावा की जाने वाली संबंधित उच्च जातियों जैसी जीवन शैली तथा व्यवहारों को अपनाने का प्रयत्न करती हैं। यह स्थिति उच्च स्तर की शासक सैनिक का संकेत देती है जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण सर्वोच्च आदर्श या गतिशील वर्गों के उदाहरण हैं।

इसके अलावा, संस्कृतिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप विशुद्धवाद उभर कर सामने आया है। यह दोबारा बनी उच्च जाति की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के तौर पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कोरी जाति के लोग ब्राह्मणों का पानी नहीं पिएंगे, न ही उनका छुआ हुआ भोजन करेंगे। इसे अपसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है, जो नए वर्गों के निर्धारण में तथा उच्च राजनैतिक गतिशीलता में योगदान करती है। पुनःसंस्कृतिकरण की एक और प्रक्रिया से भी गतिशीलता को बढावा मिलता है। इस मामले में पहले के पश्चिमीकृत या आधुनिकीकृत सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग भी आधुनिकीकरण के अनेक चिह्नों को छोड़ देते हैं तथा परंपरागत सांस्कृतिक जीवन-शैली को अपना लेते हैं।

उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप किसी विशेष जाति और वर्ग के लिए केवल **स्थितिगत परिवर्तन** होता है। वर्गक्रम में अकेली जातियाँ नीचे अथवा ऊपर की ओर गतिशील होती हैं जबकि जातियों का संपूर्ण ढाँचा वैसा ही बना रहता है।

30.3.2 पश्चिमीकरण

श्रीनिवास के अनुसार भारत में 'ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति का पश्चिमीकरण हुआ है जिसमें विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी, विचारधाराओं और संस्थानों, सिद्धांतों तथा मूल्यों के स्तर पर हुए परिवर्तनों को शामिल किया गया है।' (श्रीनिवास 1966)। इसलिए पश्चिमीकरण विस्तृत, बहु-आयामी और जटिल प्रक्रिया है जोकि संस्थानों के किसी सदस्य के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण करती है जाति गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह न केवल मौजूदा ढाँचे को ही बदलती है बल्कि सामाजिक गतिशीलता के लिए नए क्षेत्रों और नवीन मार्गों को भी प्रस्तुत करती है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे अंतःसम्बद्ध घटकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भूमि को क्रय-विक्रय की वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप व्यापक गतिशीलता का आरंभ हुआ। छोटी जातियों के भूमि खरीद सकने वाले व्यक्ति भूस्वामी बनकर उच्चता की ओर गतिशील हो सकते थे। जबकि जो लोग अपनी भूमि को किन्हीं कारणों से नहीं रख पाए। नीचे की ओर गतिशीलता में आ गए।

अभ्यास 1

अपने निकट किसी शहरी गाँव के समाज का अध्ययन करें। सामाजिक पारस्परिक संबंध कहाँ तक पश्चिमीकरण संकल्पना के अनुरूप हैं। अपने निष्कर्ष लिखें तथा अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों से उनकी तुलना करें।

नई-नई खोजों, साधनों तथा संचार की प्रगति से जातिगत बंधनों, अवरोधों में कमी आ गई।

ब्रिटिश शासनकाल में पूर्व-संस्थापित संस्थाओं के स्थान पर नई संस्थानों की स्थापना की गई, जो पहले से बिल्कुल भिन्न प्रकृति की थी। इससे सभी जातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता के लिए आधुनिक मार्ग खोल दिए तथा प्रगति के दरवाज़े सबके लिए उपलब्ध

करा दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने नए विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की जिसमें बिना किसी जातिगत भेदभाव के सबको प्रवेश दिया गया था। इसके साथ ही सेना, शासन वर्गों, विधि न्यायालयों में योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ की जाने लगीं। इससे सभी को समान अवसर मिलने लगे जिससे पर्याप्त गतिशीलता हुई। ब्रिटिश शासन ने सबसे अधिक काम आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न अवसरों की उत्पत्ति करके किया। ऊँची जाति के लोगों ने संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक लाभ के अवसरों का भरपूर लाभ उठाया। किंतु इस नई व्यवस्था से छोटी जाति के लोग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। बेले ने उदाहरण दिया है कि अंग्रेज़ों की प्रतिबंधित नीति ने गांजा और बोर्द शराब कारखाने को किस प्रकार से प्रभावित किया। उसके फलस्वरूप लोग धनवान बन गए। इसी प्रकार, श्रीनिवास ने उदाहरण दिया है कि रेलवे, सड़क और नई नहरों का निर्माण होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोनीयास तथा सूरत के समुद्री-तट के कोलियों ने इस नई व्यवस्था में विस्तृत रोज़गार के अवसरों को प्राप्त किया और आर्थिक स्तर पर समृद्ध बन गए। इसके साथ ही, पूर्वी भारत के तेली जाति के लोग तेल के लिए नए-नए खुले बाज़ारों और व्यापार में हिस्सा लेकर धनी बन गए। इस तरह, हम देखते हैं कि जातिगत गतिशीलता में नई प्रौद्योगिकी और ब्रिटिश शासनकाल की बहुत बड़ी देन माना जा सकता है।

पश्चिमीकरण ने गतिशीलता की प्रक्रिया को विभिन्न तरीकों से विशेष गति प्रदान की है। एक ओर, उनकी क्रियाविधि गतिशीलता के लिए आवश्यक थी तथा दूसरी ओर, उन्होंने विभिन्न प्रकार से गतिशीलता को पैदा किया क्योंकि अन्य व्यक्तियों द्वारा पश्चिमीकरण को आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रिटिश शासनकाल के आरंभ से पश्चिमीकरण का आरंभ और इसके अंत के साथ इसका अंत नहीं हो गया। बल्कि उन्होंने गतिशीलता की प्रक्रिया को लगातार गति देने के लिए मार्ग प्रदान किया। उन्होंने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी है जो स्वतंत्रता के बाद भी और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्र भारत ने अंग्रेज़ों के तर्क-बुद्धिपरक समानतावादी एवं मानवतावादी सिद्धांतों को समान रूप में अपनाया है जिस कारण गतिशीलता के लिए आगे और मार्ग खुल गए।

1) **नया विधि व्यवस्था** : ब्रिटिश शासनकाल राजनीतिक रूप से पूरे देश में एकल शासन-व्यवस्था की इकाई थी। उनका शासन कानून-व्यवस्था की तर्कवादपरक, मानवतावादी एवं समानतावादी सिद्धांतों पर आधारित था जो बिना किसी जातिगत भेदभाव के अपने निर्णय देता था। इसलिए उनका न्याय-तंत्र समानतावादी और समान रूप से सबपर लागू होता था। ये कानून कभी-कभी पहले के कानूनों के विपरीत होते थे। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश शासन से पहले के कानून जातिगत और भेदभावपूर्ण थे। अपराध करने वालों को यहाँ की दण्ड-व्यवस्था में सज़ा या न्याय जाति के आधार पर दिए जाते थे। परंतु ब्रिटिश शासनकाल में सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू होता था। उन्होंने जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम तथा दास प्रथा उन्मूलन अधिनियमों को निर्मित करके निम्न जाति के लोगों को आगे बढ़ने और उन्हें समान अधिकार देकर उन्नति के लिए नए अवसरों को उपलब्ध कराया। इन कानूनों के माध्यम से ऊँची जाति और नीची जाति के लोगों के बीच जो दूरी थी उसे कम करने में विशेष योगदान दिया गया। इस तरह से अंग्रेज़ों की कानून व्यवस्था ने जातिगत गतिशीलता को बढ़ाने में आदर्श सहयोग दिया है।

बॉक्स 30.01

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कानूनी व्यवस्था को सार्वभौमिकतावाद एवं समानतावाद के सिद्धांतों के आधार पर रचना की है जिसके कारण निम्न जातियों में सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिला। नए दीवानी, दांडिक एवं प्रक्रिया कानून में पुराने पारंपरिक कानून में विद्यमान असमानता को समाप्त किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण अंशदान नई विधि व्यवस्था का यह है कि इसमें सकारात्मक अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत की है। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम तथा अत्याचारों को रोकने के लिए संरक्षणात्मक नीतियों को अपना कर निम्न समाजों को असीम लाभ दिए गए हैं।

समान रूप से मताधिकार के सिद्धांत के साथ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि कमज़ोर वर्गों के लोगों के हाथ मज़बूत किए जा सकें और ऊँची जाति के लोगों के प्रभुत्व को कम किया जा सके। इसी प्रकार, भूमि सुधार कानूनों ने गतिशीलता को तेज़ी से प्रभावित किया है। हदबंदी लागू कर ज़मींदारी व्यवस्था पर कड़ी चोट की गई है तथा छोटे किसानों (जिन्होंने भूमि प्राप्त की है) को कृषि करने के अधिकार एवं भूस्वामी बनने के अधिकार दिए गए हैं। यह व्यवस्था छोटे किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इन अधिकारों से जातिगत गतिशीलता में निश्चित रूप से असीम वृद्धि हुई है।

2) **सुधारों को अपनाना :** जब भी समाज में सुधार किए जाते हैं गतिशीलता के अवसर उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बाद के सिख धर्म ने शुद्धता एवं अपवित्रता की रुढ़िवादिता को त्यागा है। उन्होंने विद्यमान असमानता और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। वहीं पर अपने धर्मों में नए समानता के सिद्धांत को लागू किया। इसी प्रकार, अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों ने निम्नतम दलित जाति के लोगों में धर्म-परिवर्तन कराया और जो अछूत माने जाते थे उनके जीवन से गरीबी एवं शोषण को दूर किया, और उन्हें शिक्षा प्रदान की और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इससे उन्हें रोज़गार के अच्छे अवसर मिले और उनका सामाजिक स्तर बढ़ा और उन्होंने वह प्रतिष्ठा प्राप्त की जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं प्राप्त की थी।

कुछ शिक्षित उदारवादी सुधारक जैसे कि राजाराम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद ने समाज में व्यापक अंधविश्वासों, बुराइयों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, मानव बलि आदि को मिटाने के लिए अपने-अपने तरीके से प्रयास किए थे। उन्होंने वंचित और दलितों तथा निम्न जाति के लोगों में अत्याचारों को कम करने तथा उनके स्तर को सुधारने के लिए तर्कसंगत बनाने और हिंदू धर्म को आधुनिक बनाने के प्रयास किए। उन्होंने यह कार्य हिंदु धर्म के साथ जुड़े सिद्धांत और कर्मकांडों को दूर करके तथा ब्राह्मणों जिन्हें वे अत्याचारी समझते थे, के चंगुल को कम करके किया। आर्य समाज, रामृकष्ण मिशन, ब्रह्म समाज जैसे नए धार्मिक पंथ समतावादी थे और जातिगत अयोग्यता और अत्याचारों के विरोधी थे। उन्होंने अपने सदस्यों को शिक्षित किया और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान कर उनके स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

महात्मा गांधी तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए छुआछूत उन्मूलन एवं अत्याचारों से बचाने के लिए संरक्षणात्मक अधिनियमों को बनाया गया। इससे निम्न वर्गों के लोगों में व्यापक रूप से उच्च-स्तरीय सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न की।

30.4 धर्मनिरपेक्षीकरण

'धर्मनिरपेक्षीकरण' शब्द के व्यापक अर्थ हैं। इसमें पीछे की गई धार्मिक चर्चा के मामले अंतर्निहित हैं। इसके साथ ही, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानून और नैतिकता के विभिन्न पक्षों में परस्पर मतभेद बढ़ने से एक-दूसरे के संबंध पृथक होने का भाव भी अंतर्निहित है। पुराने धार्मिक ढाँचे में स्तर, पद, व्यवसाय अथवा पेशा और सामान्य जीवन-शैली को निर्धारित करने के लिए शुद्धता एवं अशुद्धता के सिद्धांतों को आधार निश्चित बनाया जाता था। तर्कसंगत विचारों और शिक्षा के प्रभाव के कारण आज शुद्धता और अशुद्धता जैसे विचारों को लोगों ने नकार दिया है। इस विचार को त्यागने से लोग एक-दूसरे के नज़दीक आए हैं तथा विभिन्न जातियों के लोग एक-साथ कारखानों, दफ्तरों में काम करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर बसों-रेलों में यात्रा करते हैं, वहीं पर होटलों, रेस्तराओं में एक-साथ खाना भी खाते हैं। आधुनिक समाज के आधुनिक वस्त्र धारण करने से भी जाति प्रथा को नष्ट करने में सहायता मिली है। सार्वभौमिकता के आधार पर नए कानूनों से, सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार समान घोषित करने, और भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित होने से जाति-आधारित विषमताओं को नष्ट करने में विशेष योगदान मिला।

30.4.1 शिक्षा

पुरानी सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा पर ब्राह्मणों और 'द्विजों' का एकाधिकार था। परंतु ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों ने शैक्षिक संस्थाओं को सबके लिए खोल दिया गया था और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और युक्तिसंगत के आधार पर शिक्षा देना आरंभ किया गया। सबके लिए शिक्षा के अवसर मिलने के कारण व्यक्तिगत और समूहों को गतिशीलता के मार्ग खुल गए। इससे सबको लाभ मिला था। जिन लोगों ने आधुनिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वे सेना और नौकरशाही में नियुक्ति प्राप्त कर सकते थे। इससे उच्च स्तर पर गतिशीलता में तेज़ी आई। इसके अतिरिक्त, इस शिक्षा के कारण लोगों के विचारों में बदलाव आया और न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सिद्धांत लागू हुए। उच्च कुलीन शिक्षित लोगों ने जाति के आधार पर अत्याचार और शोषण को समाप्त करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई।

शिक्षा ने गतिशीलता की गति और उसके ढाँचे पर गहरा प्रभाव छोड़ा था जिस कारण एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए गए और इन वर्गों की शिक्षा संस्थाओं में सीटें आरक्षित की गईं। इससे इन्हें निश्चित रूप से लाभ हुआ है। इससे इन छोटे वर्गों में भी कुछ और छोटे वर्ग बनकर सामने आए। यह बिखराव अथवा अलग बनने का कारण गतिशीलता के ढाँचे के कुछ पक्ष रहे हैं जैसे कि जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाया वे अलग समूह और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की वे अलग समूह में बँट गए। इस तरह से शिक्षा से भी एक तरह की गतिशीलता में तेज़ी आई है।

शिक्षा ने गतिशीलता की प्रगति और रूप पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि एक नए वर्ग का उदय हुआ। स्वतंत्रता के बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए। ये लाभ एक छोटे वर्ग द्वारा ही उठाए गए। इससे इन वर्गों में भी नया विभाजन हो गया। ये विभाजन शिक्षा का लाभ उठाने वाले और लाभ न उठा पाने वालों के आधार पर गतिशीलता रूपों का एक पक्ष बन गए।

30.4.2 अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग

इस भाग में हम गतिशीलता के दो मुख्य तरीकों का विश्लेषण करेंगे अर्थात् विभाजन के माध्यम से गतिशीलता और संरक्षित अत्याचारों के माध्यम से गतिशीलता के बारे में चर्चा करेंगे।

अनेक वर्षों तक पिछड़े वर्ग के लोग उच्च जातियों के अत्याचारों को सहन करते रहे हैं और विनम्र भाव से जुल्मों के शिकार बनते रहे हैं। परंतु ब्रिटिश शासन काल के दौरान इन्होंने अपने स्तर में सुधार किया और संस्कृतिकरण के माध्यम से इसे वैधानिक सिद्ध करने का प्रयास किया। परंतु इसी दौरान, ऊँची जाति के लोगों ने भी नए अवसरों का अनाधिकार लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया। उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच का अंतर और अधिक हो गया। अतः निम्न श्रेणी के लोग इस असमानता को पाटने के लिए आर्थिक तथा राजनीतिक संसाधनों के लिए दावे करने लगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए माँग उठाई गई। पीछे 1870 के दशक में महाराष्ट्र में इन सभी असुविधाभोगी जातियों उच्च जातियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जाति सभाओं के रूप में संगठित होकर, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाए जिनका नेतृत्व कामाओं, रेड्डी, नैयर जैसी उच्च जातियों ने किया। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में महारों ने आरंभ किया। अन्य आंदोलनों में सभी दलित जातियों ने मिलकर 'दलित पैंथर' के नेतृत्व में एकत्रित होकर आंदोलन किया।

अभ्यास 2

लोगों के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करें तथा पता करें कि संरक्षक भेदभाव अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की कहाँ तक मदद की। अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों से चर्चा करें।

ये आंदोलन क्षैतिज गतिशीलता के उदाहरण हैं और इन आंदोलनों के माध्यम से सोपानात्मक (उच्च-स्तरीय) गतिशीलता का प्रयास किया गया। प्रदीप बोस ने दो प्रमुख गतिशीलताओं की पहचान की है। उदाहरण के लिए, **संगठन के लिए आंदोलन तथा अधिकारों की माँग के लिए आंदोलन**। इससे पहले, जाति-एसोसिएशनों ने जनगणना के माध्यम से अपने जातिगत स्तरों को ऊँचा उठाने का प्रयास किया और शासकों से माँग की। अपनी जातियों को ऊँचा स्तर दिलाने के लिए तथा उसे वैध बनाने के लिए संस्कृतिकरण का भी प्रयोग किया एवं समान जातियों से दूर रहने की नीतियों का भी पालन किया गया। इसका उदाहरण है— बिहार के कायस्थ और भूमिहार।

दूसरी गतिशीलताओं में आर्थिक संकटग्रस्त और वंचित जातियों को शामिल किया गया। उदाहरणार्थ—यादव, कुर्मी तथा कोरी जातियों ने मौजूदा राजनीतिक, भूमि, आर्थिक संबधों को सुधारने और इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने संगठित होकर एसोसिएशनें बनाईं।

पिछड़े वर्गों के 'संरक्षणात्मक भेदभाव' के तहत उच्च-स्तरीय गतिशीलता का अवसर मिला है जिसमें शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियों को प्रदान करना आदि है। इसके अलावा, इन वर्गों को सरकारी नौकरियों और वैधानिक संस्थाओं में भी आरक्षण दिया गया है। परंतु फिर भी, यह कहा जा सकता है कि ये जो कल्याणकारी उपाय किए गए हैं इन्हें केवल कुछ खास वर्ग के लोग ही उठा पाते हैं जो अपनी सहजातियों से कहीं सशक्त और धनी हैं। इसके परिणामस्वरूप, एक ही जाति के अंदर एक और विभाजन आरंभ हो जाता है।

30.4.3 औद्योगीकरण एवं शहरीकरण

औद्योगीकरण विभिन्न तरीकों से सामाजिक गतिशीलता की दर में तेज़ी लाता है। इससे

लोगों को रोज़गार मिलता है जिससे बिना किसी जातिगत भेदभाव की उपलब्धि तथा शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है। उद्योगों में नौकरियाँ कर्मचारी की शिक्षा एवं अनुभवों पर आधारित होता है, न कि किसी जातिगत उच्चता पर। इस तरह की व्यवस्था में रोज़गार के अवसर सबके लिए खुले होते हैं, साथ ही भूमिहीन मज़दूरों को उच्च-स्तरीय गतिशीलता के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं।

औद्योगीकरण में एक नए प्रकार का कार्य ढाँचा होता है जो श्रमिकों के तकनीकी विभाजन और समान या एकरूपता के स्तर पर आधारित होता है। उद्योगों में विभिन्न जातियों के श्रमिक एक ही मशीन पर बिना किसी जातिगत भेदभाव के एक-साथ काम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की पवित्रता या शुद्धिकरण का विचार नहीं किया जाता।

बॉक्स 30.02

अधिकतर उद्योगों की स्थापना का आधार शहर होते हैं, कार्यबल शहरों में आ जाता है जिससे शहरीकरण का विकास होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण के कारण शहरीकरण का निमार्ण होता है तथा सामाजिक गतिशीलता में हर प्रकार से विस्तार होता है। नगरों में जीवन शैली तथा आवासीय ढाँचा किसी जातीय संरचना के आधार पर नहीं होते हैं बल्कि जातियों की दूरी कम होती है तथा मद्धम पड़ जाती है। साथ ही, सार्वजनिकता के कारण अंतर-जातीय विवाह भी संभव हुए हैं। इससे दो जातियों के लोग एक-दूसरे के नज़दीक आए हैं, आपस में समझ पैदा कर रहे हैं।

शहरों में गतिशीलता का सबसे बड़ा कारण शिक्षा के द्वारा उपलब्धियाँ प्राप्त करना और नए-नए व्यावसायिक अवसर हैं। इससे जाति के स्थान पर स्तरीकरण की पद्धति वर्ग के रूप में उभकर आती है। पऱंतु साथ ही, जातियों की एसोसिएशन एवं परिसंघों आदि के रूप में जाति-विभाजन का स्वरूप भी विद्यमान है। इसलिए कहा जा सकता है कि शहरीकरण सोपानात्मक एवं क्षैतिज गतिशीलता का सृजन करता है। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता जाति एवं वर्ग, दोनों ही तरह की विशेषताएँ रखती है। जाति के आधार पर एसोसिएशनों का निर्माण पूर्व की स्थिति का वहीं पर रोज़गारों में परिवर्तन बाद की स्थिति का उदाहरण है।

बोध प्रश्न 1

सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए :

1) संस्कृतिकरण का अर्थ है :

   क) संस्कृत में बोलना।

   ख) संस्कृत में ज्ञान का प्रसार करना।

   ग) जाति में गतिशीलता की प्रक्रिया।

2) पश्चिमीकरण का अर्थ है :

   क) प्रतिभा-पलायन

   ख) ब्रिटिश शासन के आधार.पर परिवर्तन लाना

   ग) पश्चिमी संस्कृति को अपनाना

3) 'भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संरक्षण' क्या है?

क) कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं, वैधानिक संस्थाओं और नौकरियों में पदों की आरक्षण नीतियाँ।

ख) उच्च वर्गों के उत्थान की नीतियाँ।

ग) अछूतों का शोषण करना एवं उन्हें दबा कर रखना।

4) जाति में गतिशीलता सृजित करने वाले घटकों पर सही (✓) का निशान लगाएँ :

क) शिक्षा

ख) कानूनी सुधार

ग) औद्योगीकरण

घ) शहरीकरण

निम्न स्तरीय समाज के लोग प्रायः असुविधाजनक यात्रा करते हैं।
साभारः बी.किरणमई

30.5 वर्ग एवं सामाजिक गतिशीलता

अब हम वर्ग और सामाजिक गतिशीलता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित चर्चा करेंगे।

30.5.1 वर्ग-गतिशीलता का महत्व

वर्ग स्तरीकरण का बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक आयाम है तथा वर्ग की तर्ज़ के आधार पर गतिशीलता का विश्लेषण है। इसका विशिष्ट महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसकी अंतिम अवस्था है बल्कि इसका महत्व इसलिए भी है कि अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है। गतिशीलता की व्यापकता का प्रयोग औद्योगिक समाज की 'खुलेपन' के लिए भी किया जाता है। साथ ही, जहाँ पर गतिशीलता की ऊँची दर धर्म की अपेक्षा सामाजिक उपलब्धता का संकेत करती है। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रतिभा और योग्यता के आधार पर व्यक्ति

पुरस्कृत होता है या उसे लाभ मिलता है न कि इसमें कि एक व्यक्ति को उत्तराधिकार में बहुत सारी सम्पत्ति और सामाजिक स्तर प्राप्त हुआ है।

वर्ग गतिशीलता वर्ग निर्माण को समझने के लिए एक विशिष्ट घटक है। इसके अतिरिक्त, समाज के सदस्यों के जीवन में अवसरों की उपलब्धता के संकेतों का वर्ग गतिशीलता के अध्ययनों से भी पता लगाया जा सकता है अर्थात् जीवन अवसरों पर किसी वर्ग की उत्पत्ति का प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा, सामाजिक स्थिरता तथा विस्तार के विश्लेषण के लिए उन लोगों की जो गतिशीलता के दौर से गुज़र रहे हैं, की क्रिया एवं प्रतिक्रिया को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, सामाजिक गतिशीलता की सीमा को औद्योगिक समाज के 'खुलेपन' के उपायों के रूप में प्रयोग किया गया है तथा उच्च गतिशीलता दर विरासत में मिली उपलब्धियों की तुलना में स्वयं के बल प्राप्त की गई योग्यता वाले समाज का संकेत देती है।

30.5.2 वर्ग-गतिशीलता एवं वर्ग-निर्माण

वर्ग गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—वर्ग निर्माण की प्रक्रिया। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र के अध्ययन में अपनी विशेष रुचि दिखाते हुए खोज की है। कार्ल मार्क्स ने एक ओर वर्ग निर्माण और उसके कार्य तथा दूसरी ओर गतिशीलता का विस्तार और वर्ग स्थिति के बीच के संबधों के बारे में इसका विश्लेषण किया है। उनका विचार था कि सर्वहारा वर्ग वर्ग निर्माण की प्रक्रिया के विरुद्ध था। इसके साथ ही, उन्नत पूँजीवादी समाजों के संबंध में यही धारणा थी जबकि सवर्हारा वर्ग से मध्य वर्ग का निर्माण और विस्तार हुआ था। मार्क्स ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कुछ स्थिरता वर्ग जागरूकता की पूर्व-शर्तों के रूप में भी दिखाई देती है। इसी प्रकार, वेबर ने वर्ग निर्माण के लिए सामाजिक गतिशीलता के महत्व को उजागर करते हुए उसपर विशेष ज़ोर दिया है। वेबर सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहचान के लिए स्थिरता को प्रमुख घटक स्वीकार करते हैं।

वेस्टर्डगार्ड तथा रेसलर ने कहा है कि पूँजी रखने वाले और पूँजी न रखने वाले लोगों के बीच विभाजन ने संपूर्ण वर्ग संरचना को मूर्त रूप देने में पुनः विशेष भूमिका निभाई है। उन्होंने गतिशीलता के महत्व को मान्यता प्रदान की है और वर्ग-स्थिति, वर्ग-जागरूकता और वर्ग-संगठन के संदर्भ में लोगों की प्रतिक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप गतिशीलता की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के महत्व को दर्शाया है। वेस्टर्डगार्ड और रेसलर की तरह से ही गिड्डेनस ने भी गतिशीलता को वर्ग निर्माण की महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रक्रिया को दिखाया है। परंतु गिड्डेनस के सिद्धांत के अनुसार, इसका महत्व न केवल वर्ग जागरूकता के विकास विकास एवं उनके लिए वर्ग संगठन में है अपितु अतीत में स्वीकार्य सामाजिक घटक अर्थात् स्वयं वर्गों में भी देखा गया है। गिड्डेनस का मत है कि गतिशीलता पर जितनी अधिक पाबंदियाँ होगी उतनी ही स्थिरता के जीवन अवसरों के पुनरुत्पादन के संदर्भ में विशिष्ट अभिगेय वर्ग निर्माण के तथा वर्ग निर्भरता एवं सम्बद्धता के अधिक अवसर होंगे। इसी तरह से समाज में प्रवाह तथा अत्यधिक गतिशीलता दर, विभिन्न वर्गों पहचान भी अस्पष्ट दिखाई देती हैं। गतिशीलता वर्ग 'संरचना' का बुनियादी स्रोत होता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि यह गतिशीलता की दर और उसका कजो रूप है जिससे व्यक्ति, परिवार की एक जैसी आवासीय स्थिति के कारण सामूहिकता के रूप में वर्गों की पहचान की सीमा का निर्धारण होता है। दूसरा गतिशीलता की सीमा को वर्ग कार्य के प्रचलित स्वरूप के महत्वपूर्ण सूचक के रूप में लिया जा सकता है। पार्किन का मानना है कि वर्ग संघर्ष में सुविधाभोगी समूहों द्वारा अलग रहने की रणनीति निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। गतिशीलता की दर और उसके रूप पर निर्भरता के लिए अलग रहने एवं महत्वपूर्ण सफलता का वर्णन करने के रूप में प्रयोग किया जाता है।

30.5.3 औद्योगीकरण एवं गतिशीलता

गतिशीलता की प्रक्रिया और उसके संरचना रूपों के विश्लेषण में वर्ग की परिभाषा को मार्क्स या वेबर के अनुरूप प्रयोग नहीं किया गया है। बल्कि वर्ग से उनका अर्थ व्यावसायिक समूहों से है क्योंकि व्यवसाय किसी व्यक्ति की पात्रता, योग्यता, शिक्षा का एक पक्ष है और इससे किसी के स्तर का, सम्मान का तथा वेतन का निर्धारण होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के उपभोग, रहने का ढंग तथा जीवन अवसर प्रभावित होते हैं।

औद्योगीकरण ने केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु समाज के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए हैं। औद्योगिक समाजों को 'खुले' समाजों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर गतिशीलता के लिए अत्यधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। औद्योगिक समाजों में गतिशीलता की बहुत ऊँची दर होती है। यह दर तीव्र आर्थिक परिवर्तनों को जन्म देती है जिसके लिए व्यावसायिक, भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता अत्यंत आवश्यक होती है ताकि उपलब्ध प्रतिभाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। इसी कारण लिपसेट तथा जेटरबर्ग का मानना है कि उद्योगवाद एकसमान गतिशीलता की संरचना उत्पन्न करता है। इन विद्वानों के समान ही, डंकन तथा बलाउ औद्योगीकरण के द्वारा सृजित अनेक घटकों पर ज़ोर देते हैं जिनका गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। इनके विचार हैं कि औद्योगीकरण बुद्धिवाद के विकास से जुड़ा होता है जो चयन, तथा श्रमिकों के व्यावसायिक विभाजन के लिए सार्वभौमिक मानदंडों का सृजन करता है। इसके साथ ही, यह परिवारवाद तथा पड़ोसवाद को कमज़ोर भी करता है।

औद्योगीकरण में चयन के लिए शर्तों के रूप में उपलब्धियों पर विशेष बल देने से गतिशीलता उच्च्य स्तर एवं निम्न स्तर, दोनों ही तरह से होती है। जबकि यह तो स्पष्ट ही है कि उच्च्य स्तर की गतिशीलता किसी व्यक्ति की योग्यता-क्षमता को मानती है। जबकि निम्न स्तर की गतिशीलता कुलीन वर्गों के उत्तराधिकारी स्तरों में गिरावट आने से संबंध रखती है।

औद्योगीकरण व्यावसायिक रूपों पर अपना प्रभाव डालता है। प्रत्येक औद्योगीकृत या उद्योगशील समाज में आनुपातिक रूप से निपुण कार्यालयीन, प्रबंधकीय और सफेदपोश स्थितियों में वृद्धि होती है तथा अकुशल श्रमिक कार्यों में अपेक्षाकृत कमी जिससे उच्च्य स्तर की गतिशीलता में उफान आता है। क्योंकि किसी भी उद्योग के संचालन के लिए, प्रशासन के लिए एवं उत्पादित वस्तुओं के वितरण और सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है।

30.5.4 शिक्षा और गतिशीलता

किसी व्यक्ति की पात्रता निर्धारण करने वाले घटक उपलब्धि तथा योग्यता को बढ़ावा मिलने से इनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जाता है। शिक्षा गतिशीलता को विशेषतः औद्योगिक समाजों में, गतिशीलता को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। विशेषज्ञता तथा श्रमिक विभाजन की वृद्धि योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की विद्यमानता की पूर्व-शर्त होती है जो विशिष्ट कार्यों का संचालन में सक्षम हो। ये विशेषज्ञ किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, जैसे कि उद्योग, कानून या आयुर्विज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं तथा ज्ञान के विशेष क्षेत्रों में शिक्षित होते हैं। इस तरह की शैक्षिक तथा प्रशिक्षण की सुविधाएँ औद्योगिक समाजों में सबके लिए खुली होती हैं। पारंपरिक समाजों में इस प्रकार की सुविधाएँ विशेष क्षेत्रों में कुछ ही लोगों को मिलती थी जिससे सामाजिक गतिशीलता बाधित होती थी। शिक्षा उच्च्य स्तर की गतिशीलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग रही है। शिक्षा प्राप्त करना रोज़गार गतिशीलता के लिए एक प्रमुख निर्धारक माना जाता है एवं अंतःपारंपरिक और अंतःपरिवर्तित गतिशीलता पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है जिसपर हम नीचे चर्चा कर रहे हैं।

30.5.5 अंतःपारंपरिक अंतःपरिवर्तित गतिशीलता

यह किसी व्यक्ति के पैतृक वर्ग की गतिशीलता अथवा संचरण तथा संचरण अथवा गतिशीलता (ऊपर की ओर या नीचे की ओर) को बताता है। यदि किसी पर्यवेक्षक का पुत्र या पुत्री अकुशल श्रमिक बन जाता है तो इसे **निम्न स्तर की गतिशीलता** कहेंगे और यदि उसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री प्रबंधक बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसे **उच्च स्तर की गतिशीलता** कहेंगे।

आरंभिक प्रमुख अध्ययनों में से अंतःपारंपरिक गतिशीलता पर एक प्रमुख अध्ययन 1949 में इंगलैंड तथा वालेस में डेविड ग्लास ने किया। उन्होंने इस अध्ययन में देखा कि अंतःपारंपरिक गतिशीलता बहुत ही अधिक थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार लिया जो भिन्न-भिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के थे जिसमें उन्होंने पाया कि लगभग दो-तिहाई लोग अपने पिता की तुलना में इस गतिशीलता की श्रेणी में थे। अधिकतर गतिशीलता बहुत ही छोटे दायरे में थी अर्थात् ऐसे लोग अधिकतः पाए गए जिनकी श्रेणी लगभग अपने पिता की श्रेणी के आसपास ही थी। निम्न स्तर की गतिशीलता की तुलना में उच्च स्तर की गतिशीलता अधिक सामान्य रूप से पाई गई और अधिकतर लोग वर्ग संरचना के मध्यम स्तर से थे।

इसके बाद, दूसरा महत्वपूर्ण अध्ययन पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में किया गया। अध्ययन में पाया कि सभी पश्चिमी औद्योगिक समाजों में लगभग 30 प्रतिशत गतिशीलता वर्ग से बाहर हुई थी और लघु दायरे में थी। उन्होंने देखा कि अंतःगतिशीलता का संबंध परिवार की पृष्ठभूमि का व्यक्ति के व्यावसायिक एवं सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंध है। शैक्षिक योग्यता गतिशीलता की संरचना में प्रमुख भूमिका निभाती है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त थे, वे लोग गैर-शारीरिक श्रम के कार्यों में लगे हुए थे। इसके साथ ही, वैसी ही योग्यता वाले कुछ शारीरिक श्रमिक हाथ के दूसरे कार्यों में लग गए जबकि कुछ लोग पहले गैर-शारीरिक श्रम में लगे हुए थे बाद में उन्हें शारीरिक श्रम में प्रवेश करना पड़ा। केवल कॉलेज स्तर की शिक्षा ही शारीरिक श्रम से गैर-शारीरिक कामों में प्रवेश दिलाने में सहायक हुई। लिपसेट तथा बेनडिक्स का मानना है कि गरीबी, शिक्षा की कमी तथा खुलेपन की कमी भी गतिशीलता को प्रभावित करते हैं।

इसके बाद हॉज़र तथा हॉट ने अपने अध्ययनों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि लघु स्तर की गतिशीलता दीर्घ स्तर की गतिशीलता से अधिक है जो शिखर पर बैठे लोगों क़ी बजाय सामाजिक–आर्थिक पदानुक्रम के मध्यम वर्ग में होती है।

अंतःपरिवर्तित गतिशीलता उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने सेवा काल में अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लिपिक संवर्ग में काम करता था और उसने अपने सेवा काल में ही प्रबंधक का पद प्राप्त कर लिया। अध्ययन से यह पता चलता है कि सेवाकालीन गतिशीलता सामान्यतः अंतःपारंपरिक गतिशीलता से कम है। सेवाकालीन गतिशीलता उसके प्रथम कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेवाकालीन गतिशीलता आयु के साथ घटती रहती है और यह देखा गया है कि व्यक्ति की 35 वर्ष की आयु के बाद इसमें कमी आ जाती है। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी सेवाकालीन गतिशीलता सामान्यतया ऊपर की ओर अधिक जाती है। अध्ययनों से पता लगता है कि अंतःपरिवर्तित गतिशीलता का शैक्षिक योग्यता भी संबंध रखती है। जितनी अधिक विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण होगा, उतनी ही गतिशीलता कम होगी। लिपसेट और बेनडिक्स के अनुसार स्व-रोज़गार के माध्यम से शारीरिक कामगारों में से उच्च स्थिति तथा उच्च गतिशीलता प्राप्त करने के लिए बहुत अवसर और साधन होते हैं।

30.6 भारत में गतिशीलता एवं वर्ग

प्रायः लोग अपने विचार व्यक्त करते समय उल्लेख करते हैं कि भारत में वर्ग निर्माण अंग्रेज़ी शासन काल के दौरान सामाजिक गतिशीलता के कारण संभव हुआ है। यह कथन असत्य है क्योंकि वर्ग या श्रेणियाँ अंग्रेज़ों के शासन से पूर्व भी भारत में मौजूद थीं। फिर भी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पारंपरिक संरचना में स्तरीकरण की व्यवस्था में जाति प्रथा प्रमुख थी। अतः वर्ग गतिशीलता जाति-प्रथा की बुराइयों से दबी पड़ी थी। वर्तमान संरचना तथा जाति एक-साथ गतिशील व्यवस्था के रूप में नज़र आती है। तथा मिश्रित और बहु-आयामी अनुभव-सिद्ध वास्तविकता के साथ परस्पर मिलकर सक्रिय हैं। हम केवल विश्लेषण के उद्देश्य से निम्नलिखित श्रेणियों के स्तरों की पहचान करके आपके समक्ष रख रहे हैं।

30.6.1 कृषक वर्गों में सामाजिक गतिशीलता

पुरानी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में भूमि खरीदी और बेची नहीं जाती थी। इसलिए भूमि रखना एक प्रतिष्ठा का स्रोत होता था। परंतु अंग्रेज़ों के शासनकाल में भूमि को एक वस्तु के रूप में देखा गया और अब इसे बेचा तथा खरीदा जाने लगा था। इस नियम से कृषिक संबधों और सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था।

सन 1950 में भूमि सुधार कानून पारित हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य भूमि में बिचौलियों को समाप्त करना तथा भूमि काश्तकारों को देना था। इस तरह से सोपानात्मक गतिशीलता —उच्च स्तर एवं निम्न स्तर दोनों तरह की गतिशीलता पैदा हुई। इस नियम के तहत कुछ काश्तकारों ने फालतू भूमि खरीद ली जिसके परिणामस्वरूप वे उच्च गतिशीलता की ओर बढ़े। वहीं पर कुछ किसानों ने अपने कृषक होने का दावा करने पर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया जिससे उनकी गतिशीलता निम्न स्तर की ओर चली गई। इन सबके परिणामस्वरूप भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे वे और गरीब हो गए। दूसरे रूप में देखा जाए तो भूमि सुधार अधिनियम ज़मींदारों के लिए निम्न सामाजिक गतिशीलता का साधन बन गया था। वे काश्तकारों से भूमि कर तथा फसल का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो गए थे जो उनके धनी होने का सबसे बड़ा स्रोत होता था। उनके पास केवल सीमित भूमि रह गई जिससे राजसी जीवन शैली बिताने में असमर्थ हो गए। इसके साथ ही, अन्य अधिनियम के पारित होने से भी ज़मींदारी व्यवस्था को कड़ा झटका लगा था। इनमें सबसे प्रमुख थे—व्यापक वयस्क मताधिकार और पंचायती राज व्यवस्था जिससे ज़मींदारों एवं साहूकारों के बचे-खुचे प्रभाव और अधिकारों को गहरी चोट पहुँची।

इसके बाद सरकार ने 1960 के दशक में हरित क्रांति कार्यक्रम आरंभ किया जिससे गाँवों में असमानता के ढाँचे में परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का मुख्य ज़ोर ऊँची पैदावार बढ़ाने वाले बीजों का प्रयोग और उत्पादन को और अधिक गति देने के लिए उर्वरक के प्रयोग से था। परंतु उच्च किस्म की खादों और बीजों का प्रयोग करने के लिए अन्य बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई जैसे निरंतर पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल आदि। इन सब सुविधाओं की व्यवस्था करने में छोटे किसान असमर्थ थे। इस तरह से हरित क्रांति कार्यक्रम से गाँवों में एक नया वर्ग उभर कर सामने आया जिसे **प्रगतिशील किसान** का नाम दिया गया। ये प्रगतिशील किसान अधिक भूमि रख सकते थे। साथ ही, उसमें काम आने वाले साधन जैसे कि ट्रैक्टर, पम्प सेट, पॉवर थ्रेशर्स आदि की व्यवस्था भी कर सकते थे। ये लोग बड़े उद्यमी बन गए जो अपनी भूमि में अधिक से अधिक धन लगा कर अत्यधिक लाभ कमाने में समर्थ थे। अब इनका एक अलग वर्ग बन गया था जिन छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों से अलग हुए थे जिन्हें वे अब अपनी भूमि पर कृषि मज़दूरों के

रूप में काम पर रख सकते थे। इस तरह, हम देखते हैं कि हरित क्रांति ने सामाजिक असमानता को और दृढ़ कर दिया।

कृषि कामगारों की गरीबी के मूल्य पर अमीर और भूमिपतियों और अधिक धनी तथा सम्पत्तिवान बन गए हैं जिसके कारण कृषिक संरचना में भूमि विवादों और संघर्षों को जन्म दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही कृषक वर्गों में राजनीतिक गतिशीलता संपूर्ण भारत में पनप गई जो आज भी निरंतर चल रही है, पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी किंतु अब अपनों के विरुद्ध गतिशील है। यद्यपि गतिशीलता की सघनता समयानुसार क्षेत्रों-वर्गों में परिवर्तित होती रहती है।

अब यह तो स्पष्ट हो गया है कि कृषक वर्गों की प्रकृति तथा उनकी गतिशीलता पर अनेक प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ा है। वे अब नई जातियों की उत्पत्ति के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्था में उच्च स्तर एवं निम्न स्तर दोनों तरह की गतिशीलता के साधन एवं व्यवस्था के रूप में प्रयुक्त हुए।

30.6.2 शहरी वर्गों में सामाजिक गतिशीलता

भारतीय समाज के लिए शहरीकरण कोई नई परिघटना नहीं है। यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने से पहले भी अनेक बड़े शहर और नगर थे, जिनका रैंक विभिन्न स्तर और प्रशासनिक ढाँचे के अनुसार था। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप शहरों की ओर लोगों का आना अत्यधिक एवं तीव्र हो गया है। इस कारण से समग्र सामाजिक वर्गों की प्रकृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। हमने शहरीकरण की संरचना में प्रमुख चार वर्गों की पहचान की है। यह चार वर्ग निम्नलिखित हैं—

1) पूँजीपति/बूर्जुआ वर्ग

भारत में अंग्रेज़ों ने आधुनिक औद्योगीकरण की स्थापना की। उद्योग, मुक्त व्यापार तथा नए बाज़ारों की स्थापना ने व्यापार और व्यवसाय को नई प्रेरणा दी। व्यापारी धनी बन गए और उद्योगों की स्थापना की। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी बड़ी संख्या में उद्योगपति को व्यापारिक जातियों और समुदायों से हैं जैसे कि राजस्थान के मारवाड़ी, गुजराती बनिया और पश्चिम में जैन तथा दक्षिण में चेत्तियार लोग प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले व्यापारी वर्ग पूँजीपति बना। इनके साथ ही कुछ कारीगर तथा शिल्पकार जिन्होंने नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाया है और उन्होंने भी लघु उद्योग स्थापित किए। लिंच ने अपने अध्ययन में उद्धृत किया है कि आगरा के जाटव जूते बनाने वाले उद्योगपति बन गए हैं तथा भूमिपति जातियाँ जैसे गुजरात के पटिदारों, आंध्र प्रदेश के नायडुओं और रेड्डियों ने भी उद्योग स्थापित किए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात उद्योगों में असीमित विस्तार और विकास हुआ है। इसने सभी क्षेत्रों में विस्तार किया है जैसे कि लोहा और स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हवाई जहाज़ बनाने के कारखानों तक पहुँचा है। इस तरह से हम देखते हैं कि उद्योगपतियों का एक वर्ग आर्थिक रूप से तथा संख्या में सशक्त हो गए।

2) उद्यमी-व्यापारी एवं दुकानदार

शहरी समाज हमेशा से ही उद्यमियों से बनता है जिसमें व्यापारी एवं दुकानदार शामिल हैं। ये वर्ग शहरों एवं नगरों के विकास के साथ फले-फूले हैं। इन शहरों में नई वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग पूरी करके धन कमाते हैं। इस वर्ग में रेस्टोरेंट चलाने वाले, मैरीज ब्यूरो, वीडियो लाइब्रेरी, प्रॉपर्टी डीलर, पंसारी, लॉण्ड्री, ड्राईक्लीनर्स, सब्जी बेचने वाले व्यवसायी शामिल हैं जो इन वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने और उपभोक्ता के बीच

कड़ी का काम करते हैं। अनेक व्यक्ति नगरों तथा शहरों में इस व्यावसायिक संरचना को अपना कर समृद्ध हो गए हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके विपरीत अपने पुश्तैनी धंधों और कलाओं में विस्तार किया जैसे कि धोबियों ने ड्राईक्लीनर्स की दुकानें खोल ली हैं, नाइयों ने ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोली हैं। इनके अलावा, कुछ लोगों ने बिल्कुल नए व्यवसायों को चुना है जिसमें नए उद्यम जैसे उपभोक्ता स्थायी वस्तुएँ बेचना, ट्रेवल्स कंपनियाँ खोलना इत्यादि कार्यों आदि शामिल है।

3) व्यावसायिक वर्ग

इस वर्ग ने अपनी प्रकृति और स्वरूप को व्यापकता से बदला है जिसे इन्हें ब्रिटिश शासनकाल में मिला था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी इस वर्ग में काफी परिवर्तन आए हैं। ब्रिटिश सरकार को भारत में विभिन्न काम करने के लिए बड़ी संख्या में व्यावसायियों की अत्यंत आवश्यकता थी। उन्होंने सोचा कि व्यावसायियों अन्य देशों से लाने की बजाए यदि भारत के लोगों को समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर इन्हें व्यावसायिक रूप से तैयार कर दिया जाए तो ये लोग सस्ते पड़ेंगे और लाभकारी रहेंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की ताकि व्यावसायियों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रबंधक, प्रशासक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद आदि शामिल थे। प्रादेशिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ इस वंर्ग की संख्या और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यद्यपि इस वर्ग की रचना पंचमेल लोगों से हुई है, जैसे कि एक क्लर्क से सी.ए, बाबू से प्रशासक इस वर्ग के सदस्य हैं। इन सबके बावजूद एक बात सब में समान है कि इन लोगों ने ये जो पद प्राप्त किए हैं, वे सब अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही संभव हुआ है जिससे इन लोगों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है।

इस वर्ग के सभी सदस्यों ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के बल पर इस स्थिति को प्राप्त किया है। इस वर्ग की एक और सामान्य विशेषता यह है कि ये लोग अधिकतर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र में काम करते हैं और वेतनभोगी हैं। ये लोग उद्योगपतियों अथवा किसानों की तरह से सीधे अर्थ उत्पादक नहीं हैं और न ही ये लोग शासक हैं।

4) श्रमिक वर्ग

अध्ययनों से पता चलता है कि पहले श्रमिक वर्ग में वे लोग शामिल माने जाते थे जो गरीब कृषि मज़दूर थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी अर्थात् भूमिहीन किसान अथवा दरिद्र किसान थे जिन्होंने अपनी भूमि को कंगाली के कारण गिरवी रख दिया था। कुछ किसान थोड़े समय के लिए 'लक्ष्य श्रमिक' (टार्गेट वर्कर्स) के रूप में श्रमिक बल में शामिल हो गए ताकि कुछ धन कमा कर अपनी गिरवी रखी गई भूमि को फिर से प्राप्त कर लिया जाए। कुछ लोग खेती-बाड़ी में काम की कमी या मंदी होने से कार्य की तलाश में अस्थायी श्रमिक बन गए। इस तरह के श्रमिक फैक्ट्रियों, टेक्सटाइल मिलों, बागवानी तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने लगते हैं। इन सबकी स्थिति समान होती है तथा शहरों की गंदी बस्तियों में रहते हैं। इनका जीवन दमनीय और दयनीय होता है।

हाल के दशकों में उद्योगों का विकास होने से श्रमिक वर्गों में बहुत ही वृद्धि एवं विकास हुआ है। इसके कार्यों में भी भिन्नता पाई गई है जो देश के हर हिस्से में देखी जा सकती है। ये लोग अब संगठित हो गए हैं और इन्होंने यूनियनें बना ली हैं ताकि अपने नियोक्ताओं से अच्छे वेतन की शर्तों को मनवा सकें। ये ट्रेड यूनियनें राजनीतिक संगठनों या दलों से सम्बद्ध हो गई हैं ताकि वे अपने शक्तिशाली नेताओं के माध्यम से अपनी माँगों के लिए नियोक्ताओं और सरकार पर बराबर अपना दबाव बनाए रखें। इनकी यूनियनें श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच बिचौलिया का काम करती है जो इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखती है। श्रमिकों के लिए अंतःगतिशीलता और अंतःपरिवर्तित दोनों ही तरह के प्रावधान

मौजूद होतें हैं। वे अपनी औद्योगिक इकाई, वे वेतन संरचना और कार्यों की शर्तें और स्थिति के आधार पर बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग श्रमिक यूनियनों, क्लबों, एसोसिएशनों आदि के माध्यम से सोपानात्मक तथा क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता भी प्राप्त कर सकते हैं।

बोध प्रश्न 2

सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाएँ—

1) अंतःपारंपरिक गतिशीलता का अर्थ है :

   क) व्यक्ति के जीवन कार्यकाल के दौरान गतिशीलता

   ख) प्रव्रजन के कारण गतिशीलता

   ग) बदलाव गतिशीलता का बदलाव (ऊँचे स्तर या निम्न स्तर) पिता से पुत्रों में या पुत्रों से पिता में।

2) भारत के कृषक क्षेत्र में गतिशीलता के लिए उत्तरदायी घटक हैं—

   क) भूमि सुधार

   ख) हरित क्रांति कार्यक्रम

   ग) सफेदपोश के काम

   घ) उपर्युक्त क तथा ख

3) भारतीय शहरों में निम्नलिखित प्रमुख चार वर्ग पाए जाते हैं—

   क) बूर्जुआ, उद्यमी, किसान तथा

   ख) बूर्जुआ, उद्यमी, व्यावसायिक तथा ज़मींदार

   ग) बूर्जुआ, उद्यमी, व्यावसायिक तथा श्रमिक वर्ग

30.7 सारांश

उपर्युक्त सामाजिक गतिशीलता पर हुई चर्चा के संबंध में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि स्तरीकरण के तथाकथित 'बंद' व्यवस्था में उपलब्ध साधनों के माध्यम से सदस्य अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। भारत में जैसा कि हमने देखा है कि सामाजिक गतिशीलता में कुछ विशेष प्रकार का रचना-तंत्र और प्रक्रियाएँ शामिल थी जैसे कि विशिष्ट संस्कृति, जैसे संस्कृतिकरण, शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगीकरण के द्वारा उपलब्ध गतिशीलता के लिए नए लाभदायक अवसरों पर शीघ्र ही सुविधाभोगी या सम्पन्न लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। औद्योगीकरण तथा शहरीकरण ने समाज में जाति एवं वर्ग दोनों में गतिशीलता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियाँ और कौशल प्राप्त करने के कारण हुआ। इन दोनों प्रक्रियाओं ने क्षैतिज तथा सोपानात्मक गतिशीलता के लिए व्यापक अवसर प्रदान किए।

भारत में जातिगत गतिशीलता और वर्ग पदानुक्रम एक-दूसरे में सम्मिलित और जुड़े हुए हैं। इसलिए इनके परिणामस्वरूप स्तरीकरण का मिश्रित और बहु-आयामी ढाँचा उभर कर हमारे समक्ष आया है जिसमें स्तरीकरण तथा गतिशीलता कहीं पर मिली-जुली हो सकती हैं या फिर अलग-अलग भी हो सकती हैं।

30.8 शब्दावली

संस्कृतिकरण : यह जाति में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है जिससे निम्न जाति के लोग ऊँची जातियों मुख्यतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की तरह से अपने रीति-रिवाजों, जीवन-शैली, धार्मिक संस्कारों तथा सिद्धांतों में परिवर्तन करते हैं। इसमें बराबरी की भावना प्रमुख रूप से शामिल है।

पश्चिमीकरण : यह शब्द परिवर्तन को परिभाषित या वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है जोकि भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप हुए हैं। ये परिवर्तन जो प्रौद्योगिकी, संस्थानों, सिद्धांतों इत्यादि के स्तर पर हुए हैं। पश्चिमीकरण ने व्यक्तिगत तथा जातिगत स्तर पर गतिशीलता के लिए नए मार्ग खोले हैं।

30.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डी. गुप्ता (संपा.) 1992, *सोशल स्ट्रेटिफिकेशन,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनिट-IV

कुर्ज़, वाल्टर तथा मिल्लर (1987) *क्लास मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड,* अनुअन रिव्यू ऑफ सोशियोलॉजी, भाग 13, 417-42 दिल्ली में।

शर्मा, के.एल. (1997), *सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया : इश्यूज़ एण्ड थीम्स,* नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स

सिंगर, मिल्टन तथा कोह्न, बनर्डिस (संपा.), 1996, *स्ट्रक्चर एण्ड चेंज इन इंडियन सोसाइटी,* जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स, अध्याय 8, 9 तथा 10।

सिंह, योगेन्द्र, 1986, *मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन,* जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स

श्रीनिवास, एम.एन., *सोशल चेंजिस इन मॉडर्न इंडिया,* बम्बई : ओरिएंट लॉगमैन लिमिटेड।

30.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) ग

2) ख

3) क

4) क, ख, ग तथा घ

बोध प्रश्न 2

1) क

2) ख

3) ग